

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

संख्या: 2015/14266/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/1648/सीएफओ  
सेवा में,

दिनांक: जनवरी 10, 201

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत  
लखनऊ।

**विषय:-** खसरा नम्बर- 460 ग्राम बाधामऊ लखनऊ पर मेसर्स मैथ्रेटिक्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास भवन।  
हेतु अग्निशमन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया पार्टनर मंजरी डेवलपर्स सी-967/68, बी ब्लॉक महानगर लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक: 16.01.2018 के उपरोक्त भूखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला पंचायत के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या सम दिनांक: 14.09.2015 के द्वारा स अभियन्ता मानचित्र सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को निर्गत किया गया है।

उक्त विषयक प्रस्तुत आवास समूह भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2016 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि- के अनुसार अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण/ परीक्षण किया गया आख्या निम्नवत है:-

**भवन की संरचना:-**

1- कुल भूखण्ड एरिया- 3709.60 वर्ग मीटर

• प्रस्तावित स्टिल्ट तल का कवर्ड एरिया- 938.81 वर्ग मीटर

• प्रथम तल से आठवे तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया- 861.28 वर्ग मीटर

2- भवन की ऊँचाई- प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 26.250 मीटर है

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किय हैं।

**ढाँचागत व्यवस्था -**

1- पहुँच मार्ग- प्रस्तावित भवन के रोड की चौड़ाई 18.00 मी0 मानचित्र में प्रदर्शित है।

2- प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई- 4.50 मीटर है। जो मानक के अनुसार है।

3- सैटबैक- भवन का सैटबैक निम्नवत हैं-

• अग्रभाग- 09.00 मीटर

• पृष्ठभाग- 09.00 मीटर

• पार्श्वभाग प्रथम- 09.00 मीटर

• पार्श्वभाग द्वितीय- 09.00 मीटर

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक मे प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन मानचित्र मे 02 स्टेयर केस चौड़ाई 1.50 मीटर का प्राविधान किया गया है। जिनकी फ्लोर के स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- रिफ्यूज एरिया का विवरण- बालकनी प्रस्तावित है।

**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-** नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-16 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य

1- भूमिगत टैंक- आवश्यक नहीं है।

2- पम्प- आवश्यक नहीं है।

3- होजरील- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुरूप प्राविधान किया जाना आ है।

4- डाउनकमर :- प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0-16 के मानको के अनुरूप प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

5- यार्ड हाइड्रेन्ट- सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट, होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक है।